

समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

-: आदेश :-

सरकार के प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 225/कृ0, दिनांक- 27.01.2014 के चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245/ प्राकृतिक विपत्ती के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष -02 - बाढ़ चकावत आदि, लघु शीर्ष -114- कृषि लागतों के कथ के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष -0001 - कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) विपत्र कोड - एन0-2245021140001 के अन्तर्गत इस जिला को मो0 -3,98,35,000/- (तीन करोड़ अठानवे लाख पैंतीस हजार) रु0 मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे निम्नांकित शर्तों के अधीन निम्न विवरणी के अनुसार नामित कार्यालय / पदाधिकारी को आवंटित किया जाता है :-

क्र.	उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल उपआवंटित राशि
01	प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	शून्य	4618288.00	4618288.00
02	प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर	शून्य	2319192.00	2319192.00
03	प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर	शून्य	2349000.00	2349000.00
04	प्रखंड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया	शून्य	324341.00	324341.00
05	प्रखंड विकास पदाधिकारी, घैलाढ़	शून्य	2047696.00	2047696.00
06	प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुमारखंड	शून्य	2740351.00	2740351.00
07	प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज	शून्य	5073799.00	5073799.00
08	प्रखंड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	शून्य	4919616.00	4919616.00
09	प्रखंड विकास पदाधिकारी, आलमनगर	शून्य	921537.00	921537.00
10	प्रखंड विकास पदाधिकारी, चौसा	शून्य	7352151.00	7352151.00
11	प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरैनी	शून्य	368744.00	368744.00
12	प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज	शून्य	423387.00	423387.00
13	प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा	शून्य	2393226.00	2393226.00
कुल योग :-			35851328.00	35851328.00


उपावंटन की शर्तें :-

- उपरोक्त आवंटन वित्त विभागीय पत्रांक 2561/आ०प्र०, दिनांक- 17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है।
- इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में वर्ष मुख्य बजट शीर्ष 2245/ प्राकृतिक विपत्ती के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष -02 - बाढ़ चकावत आदि, लघु शीर्ष -114- कृषि लागतों के कथ के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष -0001 - कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) विपत्र कोड -

2


एन0-2245021140001 मांग संख्या 39 विषय शीर्ष 3106- सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा के अंतर्गत मूल बजट तथा द्वितीय अनुपूरक आगनन द्वारा उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. विभागीय कार्यालय आदेश संख्या मो0 66/13(सांख्यिकी)-294 दिनांक 23.01.2014 एवं आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के पत्रांक 1/प्रा0आ0-0- 3-32/13-96(स0अनु0)/आ0 प्र0 दिनांक 02.01.14 में उल्लेखित शर्तों एवं निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. संगत वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत उपांटित राशि का नियमानुसार व्यय एवं समायोजन करना संबंधित उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
5. उपावंटित राशि का उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का बिचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इस के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।
6. उपावंटित राशि की गई राशि की निकासी यथा संभव Fully Voucher Bill के माध्यम से ही की जाय। अपिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियामावली प्रवधानों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप दिनांक 15.03.2014 तक शीघ्र भेज दिया जाय।
7. उपावंटित राशि की निकासी संबंधित विपत्र पर स्पष्ट रूप से मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष तथा विपत्र कोड का अंकन करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा उक्त त्रुटिपूर्ण आंकड़े के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।
8. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.14 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाए।


जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक ...25...दिनांक 29-01-2014

- प्रतिलिपि : - सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : - जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : - अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल सहरसा / संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन, विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।
- प्रतिलिपि : - कृषि निदेशक / प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।


जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।